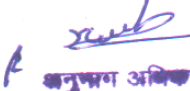


परिशिष्ट-"अ"

विधान सभा प्रश्न क्रमांक 2989 अतारांकित की जानकारी

| जिला   | विवरण                                                                                                                                                |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| धार    | सरवार सरोवर विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित खलघाट विकास खण्ड धरमपुरी सदस्य- 351 सम्मिलित ग्राम खलबुजूर्ग, खलखुर्द, गाजीपुरा एवं बलवाडा। |
|        | नर्मदा विस्थापित मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित धरमपुरी विकास खण्ड धरमपुरी।                                                                      |
| बडवानी | मां रेखा विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित ब्राह्मणगाँव विकास खण्ड ठीकरी पंजीयन क्रमांक 233 दिनांक 24-12-2007 ।                                  |
|        | मां नर्मदा विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित कसरावद विकास खण्ड बडवानी पंजीयन क्रमांक 235 दिनांक 04-02-2008                                       |

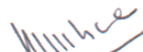
  
**कनुभग अधिकारी**  
 मध्यप्रदेश खासत  
 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग  
 मंत्रालय

  
**Deputy Director of Fisheries**  
**Director of Fisheries**  
**M.P. BHOPAL**

बीस हजार मात्र की राशि दी जाएगी । राशि प्रदान करने कार्यवाही जिला कलेक्टर के अंतर्गत की जाएगी ।

4. इब क्षेत्र में निवासरत पात्र विस्थापित परिवार एवं वह अन्य परिवार जिनके पास इब क्षेत्र के बाहर पक्का मकान नहीं और वे वास्तविक रूप से विस्थापित हो रहे हैं उनके लिए निम्न विकल्प रहेंगे ।
  - अ) जो परिवार स्वयं की व्यवस्था से जाना चाहते हैं उन्हें अस्थायी आवास/ किराए के लिए रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) एवं खाद्यान्न के लिए रुपये 20,000/- (बीस हजार मात्र) इस प्रकार एक मुश्त रुपये 80,000/- (अस्सी हजार मात्र) उपलब्ध कराया जावेगा ।
  - ब) जो परिवार पुर्नवास स्थल पर आवंटित प्लॉट पर अपना स्वयं का स्थाई आवास बनाना चाहते हैं उन्हें रुपये 60,000 (रुपये साठ हजार मात्र) दिए जाएंगे एवं खाद्यान्न के लिए रुपये 20,000/- (रुपये बीस हजार मात्र) दिए जाएंगे ।
  - स) जो परिवार उपरोक्त "अ" अथवा "ब" का लाभ नहीं लेना चाहत हैं उन्हें वर्षा काल के तीन माह के लिए पुर्नवास स्थल पर अस्थायी कैम्प में रहने के लिए जगह दी जाएगी एवं भोजन उपलब्ध कराया जाएगा । उपरोक्त कार्यवाही जिला कलेक्टर के अंतर्गत की जाएगी ।
5. इब क्षेत्र में निवासरत पात्र विस्थापित परिवार एवं वह अन्य परिवार जिनके पास इब क्षेत्र के बाहर पक्का मकान नहीं है और वे वास्तविक रूप से विस्थापित हो रहे हैं को मुफ्त परिवहन या रुपये 5,000/- (रुपये पांच हजार मात्र) उपलब्ध कराए जाएंगे ।
6. विस्थापित मछुआरों की सहकारी समिति बनाकर उन्हें मत्स्याखेट के अधिकार दिए जाएंगे । कार्यवाही जिला कलेक्टर के अंतर्गत की जाएगी ।
7. विस्थापित कुम्हारों के लिए स्थान नियत कर उन्हें ईंट बनाने के लिए जगह दी जाएगी । उन्हें फ्लाई एश ईंट/ब्रिक्स व्यवसाय हेतु भी प्रशिक्षण दिया जाएगा । उनकी बनाई ईंट/ब्रिक्स प्रधान मंत्री आवास योजना में ली जाएगी । कार्यवाही जिला कलेक्टर के अंतर्गत की जाएगी ।
8. विस्थापित नाविकों को इब के पश्चात बनने वाले नए घाटों पर प्राथमिकता दी जाएगी । विस्थापन के दौरान कंटर्जेंसी प्लान में भी उनकी सेवाएं प्राथमिकता पर ली जाकर रोजगार दिया जाएगा । कार्यवाही जिला कलेक्टर के अंतर्गत की जाएगी ।

  
 अनुमति अधिकारी  
 मुख्यप्रवेश बासम  
 मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग  
 मंत्रालय

  
 Deputy Director of Fisheries  
 Director of Fisheries  
 M.P. BHOPAL